उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 26-03-2014 को सम्पन्न हुई 16 वीं बैठक का कार्यवृत्त

****

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड की **16** वीं बैठक दिनांक **26-03-2014** को "मन्थन सभागार" मुख्यालय उत्तराखण्ड वन विभाग,राजपुर रोड देहरादून में अध्यक्ष, **उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थेः-

1. श्री एस० रामास्वामी, प्रमुख सचिव वन उवं पर्यावरण /अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
2. श्री एम० सुन्दरम, उपाध्यक्ष, एम.डी.डी.ए. देहरादून ।
3. श्री मोनिष मलिक, मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वन विभाग , देहरादून ।
4. श्री जगदीश धीमान, सभासद, नगर निगम, देहरादून ।
5. श्रीमती बीना बिष्ट,सभासद, नगर निगम देहरादून ।
6. श्री कुशलानन्द जोशी, सभासद, नगर निगम ,देहरादून ।
7. श्री हरवंश सिंह चुध,उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
8. डा० हरेन्द्र मलिक, वरिष्ठ नगर स्वाथ्य अधिकारी नगर निगम, हरिद्वार।
9. श्री पंकज गुप्ता, इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेसन, देहरादून उत्तराखण्ड।
10. श्री हर्षवर्धन मिश्रा, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
11. श्री आर०के०संगल, महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. श्री विनोद सिंघल, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम **सदस्य सचिव** द्वारा बोर्ड में **अध्यक्ष** एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुऐ बोर्ड के नामित तीन नये सदस्यों का परिचय एवं बोर्ड के क्रियाकलापों के सम्वन्ध में भी अवतग कराया गया। तदोपरान्त् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची बिन्दुओ पर विचारविमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा	निर्णय
16.1	बोर्ड की **15**वीं,बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना बैठक में लिये निर्णय के अनुपालन की स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना।	बोर्ड की **15**वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया । तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड की **15**वीं बैठक की कार्यसूची मद संख्या **09** जो कि बोर्ड के मुख्यालय के नये भवन व केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण के सम्बन्ध में था, हेतु निर्देश दिया गया कि बोर्ड के भवन का निर्माण '' ग्रीन विल्डिग कान्सेप्ट '' के आधार पर किया जाये ।बोर्ड की **15**वीं बैठक की कार्यसूची मद संख्या **-12** जो कि जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम **1974** की धारा **32** के अन्तर्गत अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में था, पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त

		धारा का दुरूपयोग न हो तथा दुरूपयोग की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाये।
		बोर्ड की **15** वीं बैठक की कार्यसूची मद सं० **17** जो कि बोर्ड के माध्यम से पर्यावरणीय जनजागरूकता, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में था, पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि उत्तराखण्ड स्थापना दिवस के अवसर पर पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु विभिन्न पर्यावरणीय संस्थाओं से विषेयज्ञों को आमंत्रित कर **"Uttrakhand Environment Awareness Conclave"** का आयोजन किया जाये। इस अवसर पर पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों पर ''व्याख्यान श्रृंखला'' भी आयोजित की जा सकती है। बोर्ड की **15** वीं बैठक की एजेन्डा विन्दू **04** जो कि बिना एन०ओ०सी० के चल रहे उद्योगों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी इन्डस्ट्रीज एसोसियेशनों को उन उद्योगों की सूची उपलब्ध कराये जो बिना सहमति के चल रहे हैं। जिस पर सम्बन्धित एसोशियन उद्योगों से विचार विमर्श करेगें। एन०ओ०सी० मद में विगत वर्षों की शुल्क को तीन या चार किश्तों में लिए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही माह जून **2014** तक कर दिया जायें। इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन भी अपने सदस्य इकाईयों को पर्यावरणीय सम्बन्धी नियमों के अनुपालन हेतु प्रोत्साहित करेगें।
16.2	बोर्ड के वर्ष **2014-15** के प्रस्तावित वार्षिक बजट पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना और बोर्ड को वर्तमान वित्तीय स्थिति से अवगत कराया जाना।	बोर्ड के वित्तीय वर्ष **2014-15** हेतु वार्षिक बजट का प्रस्तावित बजट का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेर्शित किया गया कि कतपय राज्य बोर्ड की आय को **Income Tax** में **Exemption** प्राप्त है। उत्तराखण्ड राज्य बोर्ड को भी किसी **Tax consultant** से विचार विमर्श कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए।

13.3	बोर्ड के सदस्य सचिव, प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सदस्य सचिव, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का अवलोकन किया गया प्रस्ताव को नियमानुसार स्वीकृत किया गया- (१) सदस्य सचिव- रू0 **3.0** लाख तक (२) प्रथम श्रेणी अधिकारी - रू० **50** हजार तक (३) क्षेत्रीय अधिकारी- रू० **50** हजार तक बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के लेखा का विशेष आडिटिंग के उपरान्त सदस्य सचिव, प्रथम श्रेणी एवं श्रेत्रीय अधिकारियों का वित्तीय अधिकार पुनः बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाये।
16.4	बोर्ड के कार्मिको को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए० सी० पी०) की व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने एवं स्वीकृति ढ़ांचे के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।	बैठक में प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक अनुमोदन दिया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि इस प्रस्ताव के अनुसार (ए० सी० पी०) का लाभ केवल उन्हीं कार्मियों को दिया जाए जिनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता नही हो। अर्थात उक्त नियुक्तियाँ उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा नियमावली- **1995** में अर्न्तनिहित प्रावधानों तथा शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा एवं निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुरुप नियुक्त हुए हो और इसमें आरक्षण प्रणाली का भी ध्यान रखा गया हो। (क) जो मैम्बर सेकेट्री नियुक्ति के समय कार्यरत थे और जिनके सम्बन्ध में शासन ने आरोप-पत्र दाखिल करने का निर्णय लिया हो और यदि उन्होनें नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट अथवा राहत दी हो जिसकी स्वीकृति प्रशासन से न ली गयी हो एवं जो नियमावली के विरुद्व हो, वह मान्य नहीं होगी। अर्थात इस प्रकार से की गयी कोई भी नियुक्ति अनियमित श्रेणी में मानी जायेगी। श्री बी० पी० गुप्ता, अपर सचिव, उत्तराचंल शासन, देहरादून, वन एवं पर्यावरण अनुभाग -**2**, ने अपने पत्र संख्या- **170/x-1-2005-13(14)/2004** दिनांक **28** अक्टूबर, **2005** द्वारा सदस्य सचिव, उत्तराचंल पर्यावरण एवं प्रदूषण बोर्ड , देहरादून को सूचित किया है कि उत्तरांचल बोर्ड में विभिन्न पदों पर की गई

		नियुक्तियों की कार्यवाही ने प्रथम दृष्टि में अनियमितता पाई गयी है। अतः अनुरोध किया गया है कि मामले में कार्यवाही निम्न बिन्दुओं पर सुनिश्चित की जाये। **(i)** तत्कालीनसदस्य सचिव के विरुद्व अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु आरोप-पत्र का आलेख, संगत साक्ष्यों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। **(ii)** अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की अन्र्तग्रस्तता के सम्बन्ध में सम्यक रुप से परीक्षण कर, प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्व नियुमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाय एवं इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही/प्रगति से शासन को साप्ताहिक आधार पर अवगत कराया जाए। **(iii)** जांच रिपोर्ट में, प्रथम दृष्टया कतिपय कार्मियों को नियम विरुद्व नियुक्ति दिया जाना बताया गया है, कृपया यह अवगत कराया जाय कि बोर्ड द्वारा नियमविरुद्व नियुक्त पाये गये कार्मियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की जानी प्रस्तावित है? श्री ओम प्रकाश, सचिव, उत्तराचंल शासन, देहरादून, वन एवं पर्यावरण अनुभाग -**1**, ने अपने पत्र संख्या- **170 (3)/x-1-2005-13(14)/2004** दिनांक **24** अगस्त, **2006** द्वारा सदस्य सचिव, उत्तराचंल पर्यावरण एवं प्रदूषण बोर्ड , देहरादून को लिखा गया जिसमें शासन के पत्र संख्या **170/x-1-2005/13(14)/2004** दिनांक **28** अक्टूबर **2005**, संख्या **170 (1)/x-1-2005-13(14)/2004** दिनांक **05-12-2005** एवं संख्या **170(2)/x-1-2005-13(14)/2004** दिनांक **31-03-2006** का संदर्भ दिया है उन्हें यह

		कहनें का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों पर की गयी कार्यवाही की सूचना बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुई है तथा शीघ्र अति शीघ्र मामले में कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की मांग की है। वन एवं पर्यावरण अनुभाग-३ उत्तराखंड शासन के पत्रांक दिनांक **06** सितम्बर **2011** का संदर्भ भी संज्ञान में ले, जिसमें उन्होनें सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को लिखा है कि सदस्य सचिव ने अपने पत्र में स्वीकार किया है कि उक्त नियुक्तियाँ सेवा नियमावली के अनुरुप नहीं हैं तथा इनका अभी तक नियमितीकरण भी नहीं किया गया है। अत: उक्त पत्र में यह भी आदेश हुआ था कि संदर्भगत अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाये। (ख) अनियमित नियुक्तियों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद चल रहा है उक्त वाद में वादीगण ने जिन बिन्दुओ पर वाद उठाये है उनकी प्रतिलिपि शासन को प्रस्तुत करें, और इस तरह अब तक हुई सभी चांजों को समायोजित कर सभी प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जायें। (ग) **15**वीं बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि अवैध नियुक्तियों की जांच करायी जाये इस सम्बन्ध में भी अभी तक कोई आख्या प्राप्त नहीं है।
16.5	बोर्ड में आउटसोंसिंग के माध्यम से मानव शक्ति लिये जाने हेतु अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
16.6	राज्य बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुराने वाहन को निस्प्रयोज्य किये जाने की कार्यवाही तथा नये वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया
16.7	बोर्ड में संविदा कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासन की विनियमतीकरण नियमावली-**2013** के अनुसार विनियमतीकरण किये	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इन नियुक्तियों की जांच शासन स्तर से करा ली जाये कि कार्यरत संविदा

	जाने के सम्बन्ध में।	कर्मियों की नियुक्ति के समय उनकी नियुक्तियां नियमावली के अनुसार हुई है अथवा नहीं, एवं उक्त नियुक्तियों में आरक्षण प्रणाली को ध्यान में रखा गया अथवा नहीं, क्या सभी संविदा कार्मिक नियमानुसार विनियमित नियमावली **2013** की परिधि में आते है अथवा नहीं।
16.8	**Continuous Ambient Air Quality Monitoring** के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि **Continuous Ambient Air Quality Monitoring** के विस्तारपूर्वक व्याख्या निर्धारित की जाये और विस्तारपूर्वक व्याख्या को अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराया जाये **Continuous Ambient Air Quality Monitoring** के खरीद की प्रक्रिया सील टेन्डर के माध्यम से की जाये इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य अखबारों में विज्ञापन दिया जाये। बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया कि देहरादून के आई० उस० बी० टी०, घंटाघर शौपिंग कॉम्पलेक्स तथा सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में **Continuous Ambient Air Quality Monitoring** स्टेशन स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जाये। उक्त स्टेशनों के स्थापना हेतु एम० डी० डी० ए० एवं इंडिस्ट्रीज एशोसियेशन स्थल एवं विद्युत आपूर्ति तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगीं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कुम्भ मेले के कंट्रोल रुम हरिद्वार में भी परवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना की जाये जिस हेतु हरिद्वारा विकास प्राधिकरण स्टेशन स्थापित करने हेतु स्थल एवं विद्युत आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करोयगी। इसी तरह नैनीताल एवं पंतनगर में परिवेशीय वायु गुणवता हेतु झील विकास प्राधिकरण एवं सिडकुल पंतनगर स्थल एवं विद्युत आपुर्ति की व्यवस्था उपलब्ध करोगी।
16.9	बोर्ड के संशोधित ढ़ाचे के सम्बन्ध में	प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया कि बोर्ड के संशोधित ढ़ाचे में कुछ कमियां है। जिन कमियों का निराकरण कर अध्यक्ष महोदय की अनुमति स परिचालन के माध्यम से बोर्ड की अनुमति हेतु प्रेशित किया जायेगा । बोर्ड में यह भी निर्णय

VSD Ramaaz

		लिया गया की प्रस्तावित ढ़ाचे तैयार करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के ढ़ाचे का भी परीक्षण किया जाये तथा आवश्यकता अनुसार ढ़ाचे में संशोधन किया जाये ।
16.10	बोर्ड की सेवा नियमावली के सम्बन्ध में	प्रस्ताव सेवा नियमावली का अवलोकन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि नियमावली के लिए विधि विभाग से राय ली जाये और विधि विभाग से राय मिलने के उपरान्त उक्त नियमावली राय को बोर्ड के समक्ष बैठक में रखा जाये।
16.11	अतिरक्त बिन्दु (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	**1-** सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) द्वारा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गयी है। जिस पर बोर्ड द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया। **2-** अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड राज्य हेतु प्रत्येक वर्ष ''**State of Environment Report**'' तैयार किया जाये जिसे तैयार करने के लिये बाहरी तकनीकि संस्थाओं की मदद ली जाये। बाहरी तकनीकि संस्था का चयन अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक कमैटी द्वारा किया जायेगा जिसके अन्य सदस्य निम्न होगें, सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण बोर्ड देहरादून और तीन सदस्य का चयन अध्यक्ष महोदय की सहमति से उत्तराखण्ड की कमैटी के दस सदस्यों में से किया जायेगा, उक्त हेतु वित्तीय भार स्वयं राज्य बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। **3.** अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जल उपकर मद में जमा जल उपकर धनराशि को ''**पर्यावरण संरक्षण**'' के लिए खर्च किये जाने का मदवार प्रस्ताव बोर्ड की अगल बैठक में रखा जाये। **4.** बोर्ड बैठक में शहरों में कूड़ा जलाने के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया गया

		अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये की शहरों में कूड़ा न जलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी नगर निकायों को निर्देश जारी करेगा तथा सभी नगर निकाय यह सुनिश्चित करेगे की शहरों में कूड़े को किसी भी दशा में जलाया न जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर निकायों एवं हास्पिटलों में सफाई कर्मचारियों एवं सुपरवाइजरों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धक के सम्बन्ध में "प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया जाये तथा निकायों एवं अस्पतालों में उन कर्मचारियों एवं सुपरवाईजरों को पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की जाये। जिस हेतु एक कमेटी का भी गठन किया जाये जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नामित किया जाये। 5. बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एम०डी०डी०ए०, नगर निगम एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपस में मिलकर प्रथम चरण में ई०सी०रोड़ को **green road** के तर्ज पर विकसित करेगें जिसमें विशेषकर सोलर लाईट, कुड़ेदान,पौध रोपण एवं पर्यावरणीय जागरूक संदेशों को समिलित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सभी विभाग आपस में बैठक कर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पर कार्यवाही करेगें। **6.** अध्यक्ष महोदय द्वारा अगली बोर्ड बैठक जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित करने हेतु निर्देश दिया गया।

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय व उपस्थित समस्त बोर्ड सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया।

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(एस रामास्वामी)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड